संख्या–678 /छिहत्तर-1-2026/ 1282975

प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 25 मार्च, 2026

विषयः- जल जीवन मिशन के अन्तर्गत विद्युत आपूर्ति पर आधारित ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन में आ रही कठिनाईयों का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 40,966 पेयजल योजनाओं का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसके सापेक्ष 33,157 पेयजल योजनायें सोलर आधारित हैं। शेष 7,809 योजनाएं विद्युत आधारित हैं। बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य क्षेत्र की पेयजल योजनायें सतही स्रोत आधारित एवं बहुलग्राम पेयजल योजनायें होने के कारण विद्युत आधारित बनायी गयी हैं। सभी योजनाओं पर नियमित रूप से विद्युत की आपूर्ति नहीं होने तथा वोल्टेज फ्ल्कचुएशन के कारण कतिपय योजनाओं का प्रभावी संचालन नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण योजना से आच्छादित गाँवों / परिवारों को नियमित रूप से निर्धारित रोस्टर के अनुसार पेयजल आपूर्ति किये जाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। चूंकि जलापूर्ति एक अत्यन्त ही आवश्यक सेवा है। अतः पेयजलापूर्ति में आ रही उक्त व्यावहारिक कठिनाईयों के दृष्टिगत प्रश्नगत प्रकरण को मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की शीर्ष समिति की दिनांक 05 जनवरी, 2026 को हुई बैठक में प्रस्तुत किया गया। मा0 समिति द्वारा व्यापक विचार-विमर्श के उपरान्त प्रकरण में निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं:-

" मा0 समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से ऊर्जा विभाग को निर्देश दिये गये कि ऊर्जा विभाग अपने स्तर से समस्त अँचलों विशेषकर विन्ध्य / बुन्देलखण्ड क्षेत्र के समस्त अधिकारियों को इस आशय का निर्देश निर्गत करें कि वह विद्युत आधारित ग्रामीण पाइप पेयजल परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर निर्बाध रूप से निर्धारित वोल्टेज सहित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने की व्यवस्था करायें।"

2- उपरोक्त के दृष्टिगत शासन के पत्र संख्या 133/छिहत्तर-1-2026-क0सं0-1282975 दिनांक 23-01-2026 द्वारा निर्गत शीर्ष समिति की सम्पन्न बैठक दिनांक 05 जनवरी, 2026 के कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्नकर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि अपने विभाग से सम्बन्धित एजेण्डा बिन्दु संख्या-14 के संदर्भ में मा० समिति द्वारा लिये गये निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु अपने स्तर से अपने अधीनस्थ फील्ड स्तर के अधिकारियों को सख्त निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें, ताकि ग्रामीणों को निर्वाध रूप से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की बाधा का सामना न करना पड़े। कृपया इसे महत्तम प्राथमिकता प्रदान करते हुए कृत कार्यवाही से अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक यथोक्त।

भवदीय,

Digitally signed by
ANURAG SRIVASTAVA
Date: 24-03-2026
18:07:28

(अनुराग श्रीवास्तव)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 678 (1)/छिहत्तर-1-2026, तददिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्य कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जलनिगम, (ग्रामीण), लखनऊ।
2. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
3. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शक्तिभवन लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जलनिगम, (ग्रामीण), लखनऊ।
5. सम्बन्धित जिला अधिकारी/ अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, उ०प्र०।
6. समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जलनिगम, (ग्रामीण) ।
7. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जलनिगम, (ग्रामीण) ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
AMBRISH KUMAR SINGH
Date: 25-03-2026
10:56:34

(डा0 अम्बरीष कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।